न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1266 सन 2021

अनवान :–

1. नरेश खीचड पुत्र निराणाराम जाति जाट साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. विनोद खोलायत पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. किताबोदेवी पत्नी निराणाराम जाति जाट साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक सरादारपुरा के खाता संख्या 28/28 की कुल 12.6080हैक में से 75/6304हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 17/1582 की कुल 20.8410हैक में से 2467/104205 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

भूराराम के पांच पुत्र हेतराम , नन्दराम , महावीर , निराणाराम , भागीरथ थे हेतराम पुत्र भूराराम कुवारा था जिसने अपने भाई निराणाराम पुत्र भुराराम के पुत्र विनोद कुमार को निराणाराम एव उसकी पत्नी किताबदेवी की सहमति से जब विनोद कुमार 8–10 साल का था हिन्दु रिति रिवाज से खोले ले लिया था और खोलानामा दिनांक 27.02.2012 को पंजीबद्ध करवा लिया था विनोद कुमार हेतराम के खोले जाने के बाद हेतराम के साथ ही रहता है उसके द्वारा ही विनोद कुमार का पालना पोषण किया हुआ है अब हेतराम का देहान्त हो चुका है हेतराम की समस्त सम्पति उसके खोलायत पुत्र विनोद कुमार के नाम दर्ज हो चुकी है विनोद कुमार को अपने असल पिता निराणाराम की सम्पति में कोई हक हिस्सा नही रहा है।

वाद भूमि जो निराणाराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज थी में सहवन से निराणाराम का पुत्र विनोद कुमार का नाम दर्ज हो गया जबकि विनोद कुमार हेतराम के खोले चला गया था इसलिये उसका निराणाराम की सम्पति में कोई हक हिस्सा नही था फिर भी वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो हेतराम का दत्तक पुत्र है के नाम दर्ज कर दी गई जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो हेतराम का दत्तक पुत्र है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके नाम से दर्ज है जो पूर्व में उसके प्राकृतिक निराणाराम के नाम से दर्ज थी प्रतिवादी संख्या 1 निराणाराम पुत्र भूराराम का पुत्र था जो

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

निराणाराम पुत्र भूराराम के भाई हेततराम पुत्र भुराराम के बचपन में ही खोले चला गया था और हेतराम पुत्र भूराराम के साथ ही निवास करता था उसके द्वारा ही प्रतिवादी संख्या 1 का पालन पोषण किया गया है हेतराम पुत्र भूराराम के देहानत होने पर उसकी चल अचल सम्पति प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हो चुकी है वाद भूमि निराणाराम पुत्र भूराराम की थी जो सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 जो हेतराम का दत्तक पुत्र है के नाम से दर्ज हो गई वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक सरादारपुरा के खाता संख्या 28/28 की कुल 12.6080हैक्ट में से 75/6304हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 17/1582 की कुल 20.8410हैक्ट में से 2467/104205 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

भूराराम के पांच पुत्र हेतराम, नन्दराम, महावीर, निराणाराम, भागीरथ थे हेतराम पुत्र भूराराम कुवारा था जिसने अपने भाई निराणाराम पुत्र भुराराम के पुत्र विनोद कुमार को निराणाराम एव उसकी पत्नी किताबदेवी की सहमति से जब विनोद कुमार 8–10 साल का था हिन्दु रिति रिवाज से खोले ले लिया था और खोलानामा दिनांक 27.02.2012 को पंजीबद्व करवा लिया था विनोद कुमार हेतराम के खोले जाने के बाद हेतराम के साथ ही रहता है उसके द्वारा ही विनोद कुमार का पालना पोषण किया हुआ है अब हेतराम का देहानत हो चुका है हेतराम की समस्त सम्पति उसके खोलायत पुत्र विनोद कुमार के नाम दर्ज हो चुकी है विनोद कुमार को अपने असल पिता निराणाराम की सम्पति में कोई हक हिस्सा नही रहा है।

वाद भूमि जो निराणाराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज थी में सहवन से निराणाराम का पुत्र विनोद कुमार का नाम दर्ज हो गया जबकि विनोद कुमार हेतराम के खोले चला गया था इसलिये उसका निराणाराम की सम्पति में कोई हक हिस्सा नही था फिर भी वाद भूमि प्रतिवाबी संख्या 1 जो हेतराम का दत्तक पुत्र है के नाम दर्ज कर दी गई जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

नून प्रा. हमने उभयपक्षो की बहस सुनी दस्तावेजात का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक सरादारपुरा के खाता संख्या 28/28 की कुल 12.6080हैक्ट में से 75/6304हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 17/1582 की कुल 20.8410हैक्ट में से 2467/104205 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 जो निराणाराम पुत्र भूराराम का पुत्र था प्रतिवादी संख्या 1 को बचपन में ही निराणराम पुत्र भूराराम के भाई हेतराम पुत्र भूराराम जिसके कोई औलाद नही थी ने प्रतिवादी संख्याा 1 को खोले ले लिया था और खोलानामा तसदीक करवा लिया था अब प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम पुत्र भूराराम का पुत्र है वर्तमान में हेतराम का देहान्त हो चुका है और हेतराम की चल /अचल राम्पति प्रतिवादी संख्या 1 को खोलायत पुत्र की हैसियत से प्राप्त हो चुकी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वह हेतराम पुत्र भूराराम का खोलायत पुत्र है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम पुत्र भूराराम के खोले जाने के बाद प्राकृतिक पिता निराणाराम पुत्र भूराराम की सम्पति में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निराणाराम पुत्र भूराराम की सम्पति प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई है जिसे वादी एव प्रतिवीद संख्या 1 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की निराणाराम पुत्र भूराराम की वाद भूमि उसके नाम से दर्ज हुई है में प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम के खोले जाने के कारण उसका वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम रजास्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

प्रतिवादी संख्या 1 अपने प्राकृतिक पिता निराणाराम पुत्र भूराराम से हेतराम पुत्र भूराराम के खोले चला गया था जो खोलानामा से साबित है प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम पुत्र भूराराम के खोले जाने के बाद अपने प्राकृतिक पिता निराणाराम की सम्पति में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 28/28 की कुल 12.6080हैक में से 75/6304 हिस्सा एव खाता संख्या 17/152 की कुल 20.8410हैक में से 2467/104205 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. नरेश खीचड पुत्र निराणाराम जाति जाट साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 विनोद खोलायत पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. किताबोदेवी पत्नी निराणाराम जाति जाट साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1266 सन 2021 निर्णय दिनांक– 04/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 28/28 की कुल 12.6080हैक में से 75/6304 हिस्सा एव खाता संख्या 17/152 की कुल 20.8410हैक में से 2467/104205 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner